भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. ईसीआई/प्रेस नोट/39/2015 दिनांक : 2 जून, 2015

प्रेस नोट

विषय : **स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों से आंध्र प्रदेश विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन।**

स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित आंध्र प्रदेश विधान परिषद के 11 सदस्यों की पदावधि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वर्ष 2013 तथा 2015 को समाप्त हो गई है:-

राज्य का नाम-आंध्र प्रदेश				
क्रम सं.	**सदस्यों के नाम**	**स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र का नाम**	**निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या**	**सेवानिवृत्ति की तिथि**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1.	येल्लारेड्डीगरी शिवारामी रेड्डी	अनन्तपुर स्थानीय प्राधिकारी	1	29.03.2013
2.	यलामंचिली वेन्कट बाबू राजेन्द्र प्रसाद	कृष्णा स्थानीय प्राधिकारी	1	29.03.2013
3.	चिना रजप्पा निम्माकयाला	पूर्व गोदावरी स्थानीय प्राधिकारी	1	01.05.2013
4.	डॉ. रायपति श्रीनिवास	गुन्टुर स्थानीय प्राधिकारी	2	01.05.2013
5.	थेलुकुटला गोपाला वेन्कट कृष्णा रेड्डी			
6.	वसीरेड्डी वरदा रामा राव	विजियानगरम स्थानीय प्राधिकारी	1	01.05.2013
7.	दादी वीरभद्र राव	विशाखापटनम स्थानीय प्राधिकारी	1	01.05.2013
8.	के. जयचन्द्र नायडू	चित्तूर स्थानीय प्राधिकारी	1	01.05.2013
9.	इलापुरम वेंकैय्या	कृष्णा स्थानीय प्राधिकारी	1	29.03.2015
10.	डी.वी.सूर्यनारायणा राजू	विशाखापटनम स्थानीय प्राधिकारी	1	01.05.2015
11.	पोथुला रामा राव	प्रकाशम स्थानीय प्राधिकारी	1	01.05.2015

2. वर्ष 2013 में 8 सीटों को भरे जाने के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन नहीं कराए जा सके थे क्योंकि उस समय संघटक स्थानीय निकाय/निर्वाचकगण अस्तित्व में नहीं थे। तदनंतर आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य को दो राज्यों, नामत: आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में विभाजित कर दिया गया तथा आंध्र प्रदेश को आबंटित स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के संदर्भ में सीटों की संख्या के संबंध में अधिनियम में विसंगतियां थीं अर्थात् आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 23 के अनुसार, स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में आंध्र प्रदेश विधान परिषद को 17 सदस्य आबंटित किए गए थे परन्तु उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची के अधीन इसी श्रेणी के अंतर्गत 20 सदस्य थे। उक्त अधिनियम की धारा 108 के अनुसार इस विसंगति को दूर करने के लिए इसे केन्द्र सरकार (गृह मंत्रालय) को सन्दर्भित किया गया था।

3. अब, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2015, दिनांक 30.03.2015 के साथ पठित, गृह मंत्रालय के दिनांक 29.04.2015 के आदेश द्वारा इस विसंगति को दूर कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश विधान परिषद में सीटों की कुल संख्या 50 से बढ़ाकर 58 कर दी गई है तथा स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में यह संख्या 20 रखी गई है।

4. तदनुसार, आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार इस प्रकार उत्पन्न हुई उपरोक्त 11 रिक्तियों के लिए स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों से आंध्र प्रदेश विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन कराए जाने का निर्णय लिया है :-

क्रम सं.	कार्यक्रम का विषय	तारीख एवं दिन
1.	अधिसूचना जारी करना	9 जून, 2015 (मंगलवार)
2.	नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख	16 जून, 2015 (मंगलवार)
3.	नामांकनों की संवीक्षा	17 जून, 2015 (बुधवार)
4.	अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अंतिम तारीख	19 जून, 2015 (शुक्रवार)
5.	मतदान की तारीख	3 जुलाई, 2015 (शुक्रवार)
6.	मतदान का समय	पूर्वाह्न 8.00 बजे से अपराहन 4.00 बजे तक
7.	मतों की गणना	7 जुलाई, 2015 (मंगलवार) को पूर्वाह्न 8.00 बजे
8.	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	10 जुलाई, 2015 (शुक्रवार)

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि गुन्टुर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से दो रिक्तियां जो 1.5.2013 को रिक्त हुई हैं को भरने के लिए एकल निर्वाचन आयोजित किया जाएगा, जबकि शेष 9 रिक्तियों को भरने हेतु प्रत्येक के लिए अलग-अलग निर्वाचन आयोजित किया जाएगा।

ऐसे जिले जिनमें उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र सम्मिलित हैं, में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक तथा निजी संपत्तियों के विरूपण के संबंध में विधान सभा के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के प्रावधान तथा भारत निर्वाचन आयोग के अनुदेश भी लागू हो जाएंगे। इस निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता के लिए प्रयोज्य प्रावधानों के संबंध में विस्तृत संयुक्त अनुदेश अलग से जारी किए गए हैं।

(धीरेन्द्र ओझा)
निदेशक